



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112021-231252  
CG-DL-E-18112021-231252

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 658]  
No. 658]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943  
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2021

सं. 15/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 807(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और इस परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम सं. 3 के समक्ष,-

(1) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (iii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vi) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ शासित क्षेत्र, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(4) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ix) और (x) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(5) कॉलम (5) में, शीर्षक 'शर्त' में, मद (iii),(vi),(vii),(ix) और (x) के सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (i) में, उप मद (ख) में, शब्दों "वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद" के पश्चात्, प्रतीकों और शब्दों, उनकी रंगाई या छपाई के माध्यम से सेवाओं को छोड़कर," को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/207/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, सा.का.नि. 687 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत संशोधन किया गया है।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2021

**No. 15/2021- Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 807(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, -

(i) against serial number 3,-

(1) in column (3), in the heading "Description of Service", in items (iii),(vi),(ix) and (x), for the words "Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;

(2) in column (3), in the heading "Description of Service", in item (vii), for the words "Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;

- (3) in column (5), in the heading "Condition", the entries against items (iii),(vi),(vii),(ix) and (x), shall be omitted;
- (ii) against serial number 26, in column (3), in the heading "Description of Service", in item (i), in clause (b), after the words, numbers, figures and brackets "Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)" the words "except services by way of dyeing or printing of the said textile and textile products" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022.

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended by notification No. 06/2021 - Central Tax (Rate), dated the 30th September, 2021 vide number G.S.R. 687(E), dated the 30th September, 2021.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2021

सं. 15/2021- एकीकृत कर (दर)

**सा.का.नि. 808(अ).**— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

(1) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (iii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vi) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ शासित क्षेत्र, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(4) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ix) और (x) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(5) कॉलम (5) में, शीर्षक 'शर्त' में, मद (iii),(vi),(vii),(ix) और (x) के सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;